# बिहार प्रदेश युवा परिषद्

## वर्षिक प्रतिवेदन

**Registered under the societies ActXXI of 1860/21, FCRA-**
**Income tax 12A,82G**
**Near Mission Girls High School Abadganj, Daltonganj,**
**Palamau- 822110 Mobile- 9431147597**
**Email- ajay_bpyp@rediffmail.com, Web:- www.bpyp.org.in**

Bihar Pradesh Yuva Parishad (BPYP)

**2018-19**

# सारांश

बिहार प्रदेश युवा परिषद् (BPYP) ने वित्तीय वर्ष 2018–2019 में में कई अलग–अलग परियोजनाओं में पलामू गढ़वा एवं लातेहार जिला में कार्य किया है, जिसमें आजीविका, बाल विवाह, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, पोषण आदि परियोजना में कार्य किया गया।

## संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य

लक्ष्य :

युवा पीढ़ी और सहायक विकास प्रकियाओ को बढ़वा देते हुए समपुर्ण ग्रामीण क्षेत्रो का समग्र विकास।

उद्देश्यः

- बेरोजगार युवा वर्ग के सदस्यो के विकास के लिए शैक्षणिक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकासात्मक कार्यक्रम चलाने का प्रयास करना।
- शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए स्व–नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग, कुटिर उद्योग का संचालन करने का प्रयास करना।
- समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हर स्तर पर बालक, बुढ़े एवं असहाय पुरूष तथा महिला इत्यादि का सेवा करने का प्रयास करना।
- समय–समय पर युवको, महिलाओं, बुढ़ो एवं असहाय लोगो की संगोष्ठी बुलाकर उनहे आत्म–स्वावलम्बी बनाने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने का प्रयास करना।
- समाज के विकास हेतु कसिदाकारी, पेंटिग, बंजर भुमि का विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यकम, स्वास्थ्य शिविर, परिवार कल्याण शिविर, बालवाड़ी आगंनवाड़ी एवं पर्यावरण समस्याओं का निदान का प्रयास करना।
- समाज के विकास के लिए समाज से संबंधित आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर अध्ययन, शोध एवं समाग्री प्रकाशन का प्रयास करना।
- यह परिषद राजनीतिक, सम्प्रदायिक तथा जातिय मामले से अलग होकर रचनात्मक और अहिंसात्मक का कार्यकम प्रणाली के रूप में कार्य करना।

# वित्तीय वर्ष 2018–2019 में परियोजनाओं का नाम

1. कोर परियोजना (आजीविका एवं पोषण) (सी.डब्लु.एस.)
2. वार्षीक शिक्षा सर्वेक्षण (Annual Status of Education Report) (प्रथम)
3. बाल विवाह परियोजना परियोजना (सिन्नी)

# परियोजनाओ की विस्तृत वार्षिक परियोजना प्रतिवेदन।

## 1. कोर परियोजना (आजीविका एवं पोषण)

यह परियोजना अप्रैल 2015 से लातेहार जिला के मनिका प्रखण्ड के नामुदाग पंचायत में सी.डब्लयु.एस. के सहयोग से चलाया जा रहा है,

कार्यक्रम का उद्देश्यः–

- किसानो तथा भुमिहीन परिवारो के खेती तथा खेती से संबधिंत आजीविका एवं पोषण के परिस्थिती में सकारत्मक बदलाव लाना।
- 2000 किसानो को 3 साल के अंत तक स्थायी तथा समेकित खेती कृषि पद्धति से जोड़ना।
- 2000 किसानो में (75प्रतिशत) 1500 किसानो के वार्षिक आय में औसत 24000 से 36000 रूपये की वुद्धि करना।
- प्रत्येक घरो मे भोजन विविधता को सुधार करना।

गतिविधि

- महिलाओ, दलितो, आदिवासियो और अल्पसंख्यक लोगो के घरो मे भोजन और पोषण सुरक्षा की स्थिति मे सुधार होना। इस उदेश्य की प्राप्ती के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए है।

- 160 छोटे और सीमांत किसानो ने टिकाउ कृषि अपनाते हुए **SRI, SCI, SIFS,** गैर कीटनाशक प्रबंधन जैसे पद्वति अपनाया है।

- 115 किसानो ने एस, आर, आई, विधि से धान की खेती किया। 71 महीला किसानो के द्वारा पोषक बागीचा लगाया गया है। 143 परिवारो के भोजन मे विविधता बढी है।
- 130 किसानो का एस आर आइ॰ से धान की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। समेकित खेती हेतू 15 किसानो का बिरसा कृषि विश्वविधालय एवं आशा रांची का क्षेत्र का

भ्रमण किया गया। 6 किसानो का समेकित खेती पर ग्रीन कालेज देवीपुर मे प्रशिक्षण दिलाया गया।

- 2000 छोटे और सीमात किसानो को मार्केट लिकेंज से लाभ हुआ है। और कराया गया। 11 किसानो के द्वारा मुर्गी पालन एवं बतख पालन का कार्य प्रारंभ किया गया है। 153 परिवारो को सुकन्या योजना के तहत आवेदन दिलवाया गया।

- 137 महिला किसान जे.एस.एल.पी.एस. के साथ जुड़कर लाईन विधि एवं छायादार विधि से खेती कर समेकित खेती की ओर अग्रसर हो रही है जिससे इनके परिवार का पोशण में सुधार हो रहा है साथ ही साथ इन महिलाओं के आय में भी 4–5 हजार रूपये की वृद्धि हुई है।

- कार्यक्रम में महिलओं कि भागीदारी बढ़ी है सभी कार्यक्रम में 80 प्रतिषत स ज्यादा महिलाओ की भागीदारी रही है

- परियोजना क्षेत्र के किसानो से सिख लेकर अगल–बगल के गॉव के किसान भी समेकित खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

## सम्बंधित फोटोग्राफ्स :–

## समेकित खेती

## श्री विधि से धान कि खेती

## पोषण उत्सव

## समेकित खेती

## पोषण बागीचा

## केस स्टोरीज :-

कमला देवी गॉव रांकी कला पंचायत कुई के निवासी है इनके पास कुल 3.5 एकड़ खेती का जमीन है तथा 4 डी0 घर–बारी है। कमला देवी के परिवार में कुल 6 लोग रहते है, कमला देवी खुद कुपोशित हैं इन्हे खुन की कमी है जिस कारण एक बच्चा कुपोषित है। कमला देवी अपने जमीन पर सिर्फ धान की खेती करती थी एवं घर–बारी मे मकई का फसल उपजाती थी। संस्था द्वारा कोर परियोजना के अन्तर्गत बैठक के दौरान इस परिवार की जानकारी संस्था को प्राप्त हुई इसके बाद संस्था के कार्यकर्ताओ के द्वारा कमला देवी को समेकित खेती के बारे में बतलाया गया तथा इन्हे समेकित खेती के प्रयोग से अपने परिवार का कुपोषण दुर करने के विषय पर भी जानकारी दिया गया। कमला देवी संस्था द्वारा बतलाये गये तरिके से खेती करने को तैयार हो गई इसके बाद इन्हे समेकित खेती का प्रशिक्षण दिया गया । कमला देवी वर्तमान मं संस्था द्वारा बतलाये गये तरिके से समेकित खेती कर रही है तथा अपने जमीन पर लाईन विधि एवं छायादार विधि से बैगन, टमाटर, ओल, हल्दी, आदि, कद्दू, करेला एवं मिर्चा कि खेती कर रही है, इससे इन्हे मासिक 2–3 हजार रूप्ये की आय में वृद्धि हुई है एवं घर–बारी में उपजाए गये सब्बजी का प्रयोग अपने घर के खाने में कर रही है जिससे परिवार के सभी सदस्यो के पोषण में भी सुधार हो रहा है

## कमला देवी

## 2.वार्षीक शिक्षा सर्वेक्षण (Annual Status of Education Report) (प्रथम)

**पलामूं जिले के 11 प्रखंडो के 18 गांव मे तथा विद्यालय का सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसके तहत प्रत्येक गांव के 20–20 घरो का चयन कर 3–16 वर्षो के बच्चो की जानकारी और 5–16 आयुवर्ग के बच्चों की भाषा गणित की एक एक कर के जांच प्रपत्र मे जांच किया गया। 14–16 आयुवर्ग के बच्चों की बोनस टुल से जांच किया गया ।**

**दिनांक 24–25 अक्टूबर 2018– सर्वेक्षण का जिला स्तरिए प्रशिक्षण।**
**27–28 अक्टूबर 2018– 3–4 नवंबर सर्वेक्षण कार्य।**

| Si.No. | Block | Village Name |
|---|---|---|
| 1. | Bishrampur | Ketet khurd |
| 2 | Chainpur | Mahugawan |
| 3 | Chainpur | patariya khurd |
| 4 | Chhatarpur | Bhikhi |
| 5 | Chhatarpur | Karama Kalan |
| 6 | Haidarnagar | Sarea |
| 7 | Hariharganj | Amba |
| 8 | Husainabad | Baniyadih |
| 9 | Husainabad | Sarhu |
| 10 | Mohmadganj | Duba |
| 11 | Nawadih Bazar/Nawadih | Nawatanar |
| 12 | Nawadih Bazar/Nawadih | Saraidih |
| 13 | Panki | Basariya |
| 14 | Panki | Nagari |
| 15 | Panki | Pokharaha |
| 16 | Patan | Hesla Alias Kaswa Khar |
| 17 | Patan | Suntha |
| 18 | Pipra | Andharibag Khurd |

## विद्याालय अवलोकन रिपोर्ट

**पिछले 8 वर्षो में बच्चो की उपस्थिती बढ़ी है। वर्ष 2010 में कक्षा 1 से 5 के बच्चों की उपस्थिती 62.3 प्रतिशत थी जो वर्तमान में 65.5 प्रतिशत है, वहीं कुल बच्चो की उपस्थिती 60 प्रतिशत एवं शिक्षको की उपस्थिती 90 प्रतिशत हो गई ह।**

**विद्यालय में प्रयोग होने वाले योग्य शौचालयों का प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2016 में 62.8 प्रतिशत योग्य शौचालयो का प्रयोग हो रहा था जो अब बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है।**

**75 प्रतिशत स्कुलों में खेल का मैदान है, 24.7 प्रतिशत खेल का उपकरण एवं जहां 2016 में 22.7 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली थी जो अब बढ. कर 78.4 प्रतिशत हो गई है।**

## निष्कर्ष

- सभी वर्ग के बच्चों में भाषा एवं गणित के बुनियादी कौशल को मजबुत करने की आवश्यक्ता है।
- कक्षा 2 एवं 3 के बच्चों में गणितीय कौशल काफी कमजोर हैं।
- कक्षा 8 के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे उच्च शिक्षा के लिए पुरी तरह से तैयार नहीं है।
- लगभग सभी कक्षा में विशेषकर सरकारी विद्यालय में बच्चो के सिखने की क्षमता में गिरावट एक चिंता का विषय है।

## 3. बाल विवाह परियोजना परियोजना (सिन्नी)

**एच.आर.एच.एम. अलायन्स (बाल विवाह)**

**ग्राम पंचायत स्तर बैठक**

**पलामू लातेहार एवं गढवा जिले के निम्नलिखित पंचायत मे कार्यक्रम किया गयाः–**

| क्रम सं, | जिला | प्रखंड | पंचायत | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पलामूं | सतबरवा | बकोरिया | 25 / 11 / 2018 |
| 2 | पलामूं | हरिहरगंज | सरसोत | 02 / 12 / 2018 |
| 3 | पलामूं | नावाबाजार | इटको | 27 / 11 / 2018 |
| 4 | पलामूं | पिपरा | सरैया | 05 / 12 / 2018 |
| 5 | गढवा | रंका | विश्रामपुर | 04 / 12 / 2018 |
| 6 | लातेहार | मनिका | नामूदाग | 07 / 12 / 2018 |

बैठक का मुख्य बिन्दू बाल अधिकार एवं बाल विवाह पर चर्चा किया गया :–

1) बाल अधिकार क्या है?

जिवन का अधिकार

विकास का अधिकार

सहभागिता का अधिकार

2 बाल अधिकार एवं बच्चो के विकास से इसका संबंध

3 बाल विवाह के परिपेक्ष मे बाल अधिकारो का हनन किस प्रकार बाल विवाह बच्चो के विकास को प्रभावित करते है।

4 ग्राम पंचायत स्तर पर बाल अधिकार की स्थिति
5 सशक्त किशोर एवं किशोरियां

6 किशोर किशोरी सशक्तिकरण का अर्थ :–

7 परिवार समूदाय एवं दूसरे भागीदारों को शामील करना।

8 सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं की समुदाय तक पहूंच जो प्रत्येक्ष रूप से बाल विवाह को प्रभावित करते है

9 बाल विवाह की रोक–थाम मे कानुनी प्रावधान के बारे मे जागरूकता की भूमिका क्या आपको लगता है कि कानून का सख्त प्रयोग समाज मे बाल विवाह को रोक सकता है।

इस कार्यक्रम मे पंचायत मुखिया वार्ड सदस्य किशोर किशोरी आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रमुख रूप से भाग लिये।